

संख्या 36033/5/2004 - स्थापना (आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
दिनांक 14 अक्टूबर, 2004

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

विषय:- अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्ग के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

मुझे इस विभाग के दिनांक 08 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-(एस.सी.टी.) की अनुसूची, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने संबंधी मानदंड विहित हैं, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है । केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में नियुक्त कार्मिकों के बच्चों के संबंध में इस कार्यालय ज्ञापन में यह प्रावधान है कि ऐसे पुत्र तथा पुत्री/पुत्रियाँ:-

- (क) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी हैं;
- (ख) जिनके माता-पिता में से कोई एक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी है;
- (ग) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी हैं, किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए;
- (घ) जिनके माता-पिता में से एक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी है और उसकी मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए और उसने ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो;
- (ङ) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी हैं और जिनकी मृत्यु हो जाए अथवा जो स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो;
- (च) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'ख' अधिकारी हैं;

.....2/-

- (ख) जिनके माता-पिता में से एक केवल पति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-11/समूह 'ख' अधिकारी है और वह 40 वर्ष अथवा इससे पूर्व की आयु में श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी बन जाए;
- (घ) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-11/समूह 'ख' अधिकारी हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो;
- (ङ) जिनके माता-पिता में से केवल पति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्त अथवा 40 वर्ष से पूर्व पदोन्नत) एवं पत्नी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-11/समूह 'ख' अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए; तथा
- () जिनके माता-पिता में से पत्नी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्त अथवा 40 वर्ष से पूर्व पदोन्नत) एवं पति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-11/समूह 'ख' अधिकारी हो तथा पति की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए

तो उन्हें सम्पन्न वर्ग में शामिल समझा जाएगा ।

2. अनुसूची में आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसे पुत्र और पुत्रियाँ:-

- (i) जिनके माता-पिता में से कोई एक या दोनों सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी हों और यथा नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) की मृत्यु हो जाए अथवा वह (वे) स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए;
- (ii) जिनके माता-पिता दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-11/समूह 'ख' अधिकारी हों और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए;
- (iii) जिनके माता-पिता दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-11/समूह 'ख' अधिकारी हों और दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा दोनों ही स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो -

सम्पन्न वर्ग में सम्मिलित नहीं समझे जाएँगे ।

3. सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के पुत्रों और पुत्रियों के सम्पन्न वर्ग के दर्जे के निर्धारण के लिए तय किए गए मानदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों तथा साथ ही गैर सरकारी नियुक्ति के अंतर्गत समकक्ष अथवा समतुल्य पदों और स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होते हैं। ऐसे संगठनों जहाँ पदों का मूल्यांकन समकक्ष अथवा तुलनीय आधार पर नहीं किया गया है, के कर्मचारियों के पुत्रों और पुत्रियों के संबंध में सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण अनुसूची में दिए गए आय/सम्पत्ति परीक्षण के आधार पर किया जाता है। आय/सम्पत्ति परीक्षण में यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी सकल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए अथवा इससे अधिक है अथवा जिनकी सम्पत्ति, सम्पत्ति कर अधिनियम में निर्धारित छूट सीमा से लगातार तीन वर्ष तक अधिक रहती है तो उनके पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग में शामिल समझे जाएँगे। आय/सम्पत्ति कर परीक्षण के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि वेतन से हुई आय अथवा कृषि से हुई आय को जोड़ा नहीं जाएगा।

4. सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने के लिए उपर्युक्त प्रावधानों के संदर्भ में समय-समय पर निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए हैं :

- (i) क्या उन माता-पिता के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जाएगा जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सीधी भती द्वारा नियुक्त श्रेणी I/समूह 'क' अधिकारी हों और सेवानिवृत्ति के पश्चात उनमें से एक की अथवा दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए ?
- (ii) क्या उन माता-पिता के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जाएगा जो दोनों ही सीधी भती द्वारा नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'ख' अधिकारी हों और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए ?
- (iii) क्या उन माता-पिता के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जाएगा जो दोनों ही सीधी भती द्वारा नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'ख' अधिकारी हों और सेवानिवृत्ति के पश्चात दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए यद्यपि दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो ?
- (iv) ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ जो अपने माता-पिता के सेवारत रहने के दौरान उनकी सेवा श्रेणी के कारण सम्पन्न वर्ग में आते थे, क्या अपने माता-पिता की सेवानिवृत्ति के पश्चात भी सम्पन्न वर्ग में बने रहेंगे ?

.....4/-

- (V) क्या ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग (प्रीमीलेयर) के अंतर्गत माने जाएंगे, जिनमें पति, सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-11/समूह 'ग' अथवा श्रेणी IV/समूह 'घ' कर्मचारी हो और 40 वर्ष की आयु तक या इससे पूर्व वह श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी बन गया हो ?
- (VI) क्या कोई ऐसा उम्मीदवार जो स्वयं सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी हो अथवा सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी 11/समूह 'ख' अधिकारी हो और 40 वर्ष की आयु तक अथवा उससे पहले श्रेणी 1/समूह 'क' अधिकारी बन गया हो, अपनी सेवा के स्तर के आधार पर सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा ?
- (VII) क्या कोई ऐसा उम्मीदवार सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा जिसकी सकल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए अथवा उससे अधिक हो अथवा लगातार तीन वर्षों से सम्पत्ति कर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट की सीमा से अधिक संपदा रखता रहा हो ?
- (VIII) अनुदेशों में यह प्रावधान है कि अन्य पिछड़े वर्ग की किसी महिला को, जिसका विवाह, सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी के साथ हुआ है, विवाह के आधार पर सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माना जाएगा । अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का कोई ऐसा पुरुष जिसका विवाह, सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी महिला के साथ हुआ हो, क्या अपने विवाह के आधार पर सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा ?
- (IX) सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों आदि में कार्यरत माता-पिता के पुत्रों और पुत्रियों के संबंध में आय/सम्पत्ति परीक्षण किस प्रकार लागू होगा, जिनके पदों की समकक्षता अथवा तुल्यता सरकार के पदों के साथ स्थापित नहीं है ?
- (X) आय/सम्पत्ति परीक्षण (संबंधी प्रावधान) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण "वेतन अथवा कृषि भूमि से होने वाली आय को मिलाया नहीं जाएगा " की व्याप्ति किस सीमा तक है ?

5. उपर्युक्त पैरा 4 के खंड (i), (ii), (iii) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पुत्र और पुत्रियाँ जिनके :-

- (क) माता-पिता में से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी हैं और ऐसे नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वह (वे) स्थायी रूप से अक्षम हो जाएं;
- (ख) माता-पिता दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-11/समूह 'ख' के अधिकारी हैं और उनमें से एक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी रूप से अक्षम हो जाए; और
- (ग) माता-पिता जो दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-11/समूह 'ख' के अधिकारी हैं और दोनों की ही सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वे स्थायी रूप से अक्षम हो जाएं, भले ही उनकी ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो -

सम्पन्न वर्ग (क्रिमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आते । किन्तु यदि ऐसे मामलों में मृत्यु अथवा स्थाई अक्षमता सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो तो ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग (क्रिमी लेयर) के अंतर्गत माने जाएँगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

6. पैरा 4 के खंड (IV) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ जिन्हें अपने माता-पिता के सेवा स्तर के आधार पर सम्पन्न वर्ग में शामिल माना गया है, सम्पन्न वर्ग में शामिल माने जाते रहेंगे, चाहे उनके माता-पिता सेवानिवृत्त हो गए हों अथवा सेवानिवृत्ति के बाद उनकी मृत्यु हो गई हो ।

7. पैरा 4 के खंड (V) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पुत्र और पुत्रियाँ, जिनके माता-पिता में से केवल पति स्वीधी भार्ती से नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'ख' अधिकारी है और जो 40 वर्ष की आयु तक अथवा उससे पूर्व श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी बन जाए, सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माने जाएँगे । यदि पिता स्वीधी भार्ती से नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'ग' अथवा श्रेणी-IV/समूह 'घ' कर्मचारी है और वह 40 वर्ष की आयु अथवा उससे पूर्व श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी बन जाए तो उसके पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माने जाएँगे ।

8. पैरा 4 के खंड (VI), (VII) और (VIII) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण उसके माता-पिता के दर्जे के आधार पर किया जाता है न कि उसकी अपनी हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नी की हैसियत अथवा आय के आधार पर । अतः, किसी व्यक्ति के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करते समय उम्मीदवार की स्वयं की हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नी की हैसियत अथवा आय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।

9. पैरा 4 के खंड (IX) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों जो किसी ऐसे संगठन में कार्यरत हैं जिनके पदों की सम्पन्नता अथवा तुल्यता सरकार के अंतर्गत पदों के साथ तुल्यता नहीं की गई है, के पुत्र और पुत्रियाँ के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण नीचे दिए गए अनुसार किया जाता है:-


माता-पिता की, वेतन तथा अन्य स्रोतों (वेतन तथा कृषि भूमि को छोड़कर) से होने वाली आय का पृथक रूप से निर्धारण किया जाए । यदि माता-पिता की वेतन से होने वाली आय अथवा अन्य स्रोतों (वेतन तथा कृषि भूमि को छोड़कर) से होने वाली आय में से कोई भी लगातार तीन वर्षों तक 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक रहती हो तो ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माने जाएँगे । किन्तु ऐसे माता-पिता जिनकी वेतन से होने वाली आय 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है और अन्य स्रोतों से होने वाली आय भी 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, के पुत्र और पुत्रियाँ को सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं

माना जाएगा, चाहे उनके वेतन से होने वाली आय तथा अन्य स्रोतों से होने वाली आय का योग लगातार तीन वर्षों से 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक ही क्यों न हो। यह भी ध्यान रखा जाए कि कृषि भूमि से होने वाली आय को यह परीक्षण लागू करते समय नहीं गिना जाएगा।

10. पैरा 4 के खंड (x) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालय आपन की अनुसूची की श्रेणी-VI में दिए गए अनुसार किसी उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करने के लिए आय/सम्पत्ति परीक्षण लागू करते समय वेतन से होने वाली आय तथा कृषि भूमि से होने वाली आय को नहीं गिना जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी उम्मीदवार के माता-पिता के वेतन से होने वाली आय 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक हो, कृषि भूमि से होने वाली आय 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक हो किन्तु अन्य स्रोतों से होने वाली आय 2.5 लाख प्रति वर्ष से कम हो तो आय/सम्पत्ति परीक्षण के आधार पर उम्मीदवार को सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माना जाएगा बशर्त कि उसके माता-पिता (दोनों) के पास लगातार तीन वर्षों की अवधि से सम्पत्ति कर अधिनियम में दया निर्धारित छूट सीमा से अधिक धन न रहा हो।

11. आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की विषय-वस्तु राज्य के सभी संबंधित व्यक्तियों/कार्यालयों के ध्यान में ला दें।

भवदीय,



(के. जी. वर्मा)

भारत सरकार के उप सचिव

प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस पत्र की विषय वस्तु सभी संबंधित पक्षों के ध्यान में ला दें।

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली।
3. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग) नई दिल्ली।
4. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली।
5. रेलवे बोर्ड।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का सर्वोच्च न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
8. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।